**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**प्रथम अपील क्रमांक 108/2006**

श्रीमती नीतू सिंह

**बनाम**

सुनील सिंह

**विचारार्थ निर्णय**

**सही/-**

**(एल.सी. भादू)**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा**

**सही/-**

**(सुनील कुमार सिन्हा)**

**न्यायाधीश**

**निर्णय हेतु दिनांक 28 सितंबर, 2007 को सूचीबद्ध करें।**

**सही/-**

**न्यायाधीश**

**27.09.2007**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**प्रथम अपील क्रमांक 108/2006**

अपीलार्थी - श्रीमती नीतू सिंह, आयु 28 वर्ष, पति श्री सुनील सिंह, निवासी— आई.टी.आई. परिसर, कोनी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** - सुनील सिंह, आयु 32 वर्ष, पिता श्री एम.एल. सिंह, निवासी— निराला नगर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, बिलासपुर (छ.ग.)

.....

**उपस्थितः**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से—श्री राहुल बिर्थरे एवं श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से—श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता

.....

**युगलपीठ**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा**

**निर्णय**

(28 सितम्बर, 2007 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा प्रदत्त किया गया :-

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील द्वारा अपीलार्थी श्रीमती नीतू सिंह ने दिनांक 15-06-2006 को पारित उस आदेश की वैधता एवं शुद्धता को चुनौती दी है, जिसे कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर के न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत

दायर आवेदन पर पारित किया गया था। उक्त आदेश में कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश ने यह कहा कि चूँकि आवेदन उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत दायर किया गया है, जिसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तथा मांगी गई अनुतोष सिविल न्यायालय की अधिकारिता में आती है, अतः आवेदन को सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को वापस किया जाए।

2. इस अपील के निराकरण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 सहपठित कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के अंतर्गत दिनांक 13-06-2006 को कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर में आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी का विवाह दिनांक 28-04-2003 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार प्रत्यर्थी से हुआ था। विवाह के तुरंत बाद उसके ससुराल पक्ष द्वारा उसके साथ अमानवीय, क्रूर एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाने लगा। धन की मांग को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके संबंध में दिनांक 07-08-2003 एवं 16-09-2004 को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। दिनांक 09-11-2004 को अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को वैवाहिक कर्तव्यों की याद दिलाते हुए नोटिस भेजा। इसके पश्चात उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष भरण-पोषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे बाद में कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर को स्थानांतरित कर दिया गया। कुटुम्ब न्यायालय ने दिनांक 20 अप्रैल 2005 को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 1500/- रुपये प्रति माह देने का आदेश पारित किया। यह भी कहा गया कि उसके पति की मासिक आय लगभग 20,000/- रुपये है। ससुराल पक्ष ने विवाह के समय उसके माता-पिता द्वारा दिए गए सामान लौटाने से इनकार कर दिया तथा उलटे उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई। अंततः अपीलार्थी ने विवाह में हुए व्यय (टेंट, शामियाना एवं भोजन) के 2,00,000/- रुपये दहेज में दिए गए सामान के मूल्य 1,56,792/- रुपये तथा क्रूरता एवं मानहानि के लिए 1,00,000/-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रुपये की मांग की। दिनांक 15-06-2006 को कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश ने अपीलार्थी की उपस्थिति में आक्षेपित आदेश पारित किया।

3. हमने अपीलार्थी की ओर से श्री राहुल बिर्थरे एवं श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्तागण तथा प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव, अधिवक्ता को सुना।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क दिया कि उक्त धारा के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय इस प्रकार के आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम है, अतः आक्षेपित आदेश विधि-विरुद्ध है।

5. विवाद के समुचित निराकरण हेतु, हमारे विचार से घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 सहित अधिनियम, 2005 के सुसंगत प्रावधानों पर दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा। धारा 12 में यह उपबंधित है कि: ...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "12. मजिस्ट्रेट को आवेदन - इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा : (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति,
>
> परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है :
>
> परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम

के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा ।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी ।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभकी गई हो, मांगा जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष, किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा करे, मांगा जा सकेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।

6. इस प्रकरण में निहित विवाद को समझने के लिए अधिनियम, 2005 की योजना पर दृष्टि डालना आवश्यक है। यह अधिनियम उस पृष्ठभूमि में बनाया गया, जब महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र समिति ने अपनी सामान्य अनुशंसाओं में सदस्य देशों को यह सुझाव दिया कि वे महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से पारिवारिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करें। नागरिक विधि इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर पा रही थी। यद्यपि, पति या उसके परिजनों द्वारा क्रूरता किए जाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत यह एक अपराध है, तथापि महिलाओं को समुचित संरक्षण एवं अनुतोष प्रदान करने हेतु एक समग्र कानून की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से संसद ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने तथा समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि घरेलू हिंसा एक मानवाधिकार का गंभीर प्रश्न है तथा विकास के लिए एक बाधक तत्व है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण हेतु यह कानून बनाया गया है, जिससे पीड़ित महिला को नागरिक विधि के अंतर्गत प्रभावी उपाय उपलब्ध हो सके। अधिनियम के अनुसार, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2(क) में परिभाषित "पीड़ित व्यक्ति" तथा घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 में वर्णित "घरेलू हिंसा" की शिकार महिला, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें वह प्रतिकर अथवा हर्जाने की मांग कर सकती है। यह अधिकार इस बात से अप्रभावित रहता है कि वह पृथक रूप से प्रतिकर हेतु सिविल वाद भी दायर कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12(4) के अनुसार मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः 3 दिनों के भीतर प्रथम सुनवाई की तिथि निर्धारित करनी होती है। उपधारा (5) के अनुसार मजिस्ट्रेट पर यह दायित्व भी है कि वह उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन का निराकरण प्रथम सुनवाई की तिथि से 60 दिनों के भीतर करे। घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 17 यह उपबंधित करता है कि प्रत्येक महिला, जो घरेलू संबंध में है, को साझा गृह में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे उसमें उसका कोई स्वामित्व या हित हो या न हो। साथ ही, पीड़ित महिला को उस साझा गृह से बेदखल या वंचित नहीं किया जा सकता। घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट यह संतुष्ट हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तो वह पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित करेगा तथा प्रत्यर्थी को उपधारा (क) से (छ) में वर्णित कार्यों से प्रतिबंधित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा सिद्ध होने पर, पीड़ित महिला के निवास संबंधी अधिकारों के संबंध में आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि उपधारा (1) की धाराओं (क) से (च) तथा उपधारा (2) से (8) में वर्णित है। घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अनुसार मजिस्ट्रेट मौद्रिक अनुतोष प्रदान कर सकता है। घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 21 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देता है कि वह पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में बच्चे या बच्चों का संरक्षण संबंधी आदेश पारित कर सके। अंततः, घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत, मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है कि वह घरेलू हिंसा के कारण हुए शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर या हर्जाना अदा करे।

9. अधिनियम की धारा 26 इस उद्देश्य से जोड़ी गई है कि धारा 12 के प्रावधानों के अतिरिक्त, पीड़ित व्यक्ति किसी भी विधिक कार्यवाही में—चाहे वह व्यवहार न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या दांडिक न्यायालय के समक्ष हो—धारा 18, 19, 20, 21 एवं 22

के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी अनुतोष का दावा कर सके, चाहे ऐसी कार्यवाही अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व आरंभ हुई हो या उसके पश्चात। धारा 26 की उपधारा (2) यह भी प्रावधान करती है कि उपधारा (1) में वर्णित कोई भी अनुतोष, उस वाद या विधिक कार्यवाही में मांगी जाने वाली अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त एवं उनके साथ-साथ मांगी जा सकती है। उपधारा (3) पीड़ित व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित करती है कि यदि उसे इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कार्यवाही के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यवाही में कोई अनुतोष प्राप्त हुई है, तो वह ऐसे अनुतोष के प्रदान किए जाने की सूचना मजिस्ट्रेट को देने के लिए बाध्य होगी। अतः धारा 26 के अनुसार, पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह धारा 18, 19, 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत प्रदत्त अनुतोष किसी भी लंबित विधिक कार्यवाही—सिविल, दांडिक या पारिवारिक न्यायालय में—प्राप्त कर सके, और ये अनुतोष उस कार्यवाही में मांगी जाने वाली अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त एवं उनके साथ-साथ होंगी। इस प्रकार, पीड़ित व्यक्ति को यह विकल्प प्रदान किया गया है कि वह धारा 12 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, किसी भी लंबित विधिक कार्यवाही में भी धारा 18, 19, 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत उपलब्ध अनुतोषों का लाभ प्राप्त कर सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपर्युक्त अधिनियम की योजना, विशेषतः धारा 26 के प्रावधानों के आलोक में, वर्तमान अपीलार्थी को वर्ष 2005 के अधिनियम की धाराओं 18, 19, 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत उपलब्ध अनुतोष, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर में लंबित भरण-पोषण की कार्यवाही में मांगने का अधिकार है। तथापि, इसके लिए अपीलार्थी को धारा 26 के साथ उस धारा के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसके अंतर्गत वह अनुतोष चाहती है। किन्तु ऐसा करने के स्थान पर अपीलार्थी ने अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत एक स्वतंत्र नवीन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे केवल अधिकार-प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा ही विचारणीय किया जा सकता है। धारा 12 के अंतर्गत आवेदन कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिनियम की योजना के अनुसार ऐसी कार्यवाही केवल सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत की जानी है।

11. इन परिस्थितियों में, कुटुम्ब न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। तथापि, अपीलार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत, उक्त कुटुम्ब न्यायालय में लंबित भरण-पोषण की कार्यवाही में उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

**सही/-**

**एल.सी. भादू**

**न्यायाधीश**

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**